न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 79/2023 दिनांकः– 16.08.2023

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

रायसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खिलचीपुर बाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(सायल)

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली।

(गैरसायल)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायल

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक 05.05.2025

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खिलचीपुर बाडा की जमाबन्दी सम्वत 2037–40 के साबिक ख0न0 102/1 रकवा 21 बीधा 13 बिस्वा, ख0न0 102/2 रकवा 2 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 25 बीधा 3 बिस्वा मे सायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बरान से सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा साबिक ख0न0 102 से हाल ख0न0 187/0.62, 196/0.37, 207/0.46, 186/1.11, 198/836/0.45, 207/838/0.46, 188/0.21, 179/839/0.15, 208/720/0.04, 189/0.38, 197/0.55, 198/0.45, 207/837/0.13, 190/723/0.16, कायम किये है इस प्रकार नवीन आराजी का कुल रकवा 5.54 है0 बनता है जिसका करीब 22 बीधा होता है इस प्रकार सायल का रकवा 3 बीधा रकवा सेटलेन्टमेन्ट कर्मचारियो द्वारा कम बनाया गया है।

यह है कि नवीन आराजी ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 ग्राम खिलचीपुरबाडा की किस्म चरागाह कर दी है जबकि उक्त ख0न0 साबिक ख0न0 102/1 का ही भाग है जिस पर सायल हमेशा से काबिज रहा है और आज भी काबिज है सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने उक्त आराजी ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 को साबित ख0न0 102/1 से नही बनाकर साबिक ख0न0 45 मिन से बनाकर कायम किया है तथा सायल का रकवा कम कर दिया है तथा सायल के साबिक खातेदारी व कब्जे की आराजी से नवीन ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 बनाकर चरागाह कर दिया है इस प्रकार सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा मौजूदा राजस्व रिकार्ड साबिक रिकार्ड के अनुसार कायम नही किया है तथा मिलान क्षेत्रफल गलत बनाया है तथा मौजूदा सीट भी साबिक सीट के अनुसार कायम नही की है जिसे सायल को दुरूस्त कराने का हकदार है तथा सायल ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 की खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार है।

बांका दिनांक 02.08.2023 को सायल गैरसायलान से उनके कार्यालय मे मिला तथा निवेदन किया कि जो भूमि मेरे कब्जे मे हमेशा से है तथा मे ही काश्त कर रहा हूँ का सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा नवीन रिकार्ड मे मेरा हिस्सा कम कर दिया है तथा मेरे कब्जे की आराजी ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 को साबिक ख0न0 45 मिन से बनाकर चरागाह दर्ज कर दिया है उसको दुरूस्त कराके मेरे नाम करवा दो तो गैरसायलान ने मना कर दिया और कहा कि तुम सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर दुरूस्ती करवा लो नही तो मै तुमको बेदखल कर दूंगा इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये और सायल को बेदखल कर दिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे है सुविधा संतुलन सायल के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही होगी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 ग्राम खिलचीपुरबाडा मे सायल के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे आराजी को खुर्द–बुर्द नही करे, तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मूल वाद उनवानी रायसिंह बनाम तहसीलदार मे प्रस्तुत जबाब / रिपोर्ट अनुसार वादपत्र मे वर्णित साबिक ख0न0 102 / 1 रकवा 21 बीधा 13 बिस्वा ख0न0 102 / 2 रकवा 3 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 25 बीधा 3 बिस्वा मे रायसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक नम्बरान से नवीन ख0न0 198 / 836, 207 / 837, 207 / 338, 179 / 839, 179 / 841, 179 / 840, 190 / 723, 208 / 719, 208 / 720, 207, 196, 197, 198, 186, 187, 188, 189, 179, 180 कुल किता 19 कुल रकवा 6.36 है0 बने है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बरान व नवीन खसरा नम्बरान के रकवे मे कोई अन्तर नही है आराजी ख0न0 179 / 721 रकवा 0.58 है0 किस्म चरागाह साबिक ख0न0 102 / 1 का भाग नही होकर साबिक ख0न0 45 का भाग है। इस प्रकार वादी का रकवा कम नही हुआ है।

सायल वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम खिलचीपुर बाडा की जमाबन्दी सम्वत 2037–40 के साबिक ख0न0 102 / 1 रकवा 21 बीधा 13 बिस्वा, ख0न0 102 / 2 रकवा 2 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 25 बीधा 3 बिस्वा मे सायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बर 102 से हाल ख0न0 187 / 0.62, 196 / 0.37, 207 / 0.46, 186 / 1.11, 198 / 836 / 0.45, 207 / 838 / 0.46, 188 / 0.21, 179 / 839 / 0.15, 208 / 720 / 0.04, 189 / 0.38, 197 / 0.55, 198 / 0.45, 207 / 837 / 0.13, 190 / 723 / 0.16, कायम किये है इस प्रकार नवीन आराजी का कुल रकवा 5.54 है0 बनता है जिसका करीब 22 बीधा होता है इस प्रकार सायल का रकवा 3 बीधा रकवा सेटलेन्टमेन्ट कर्मचारियो द्वारा कम बनाया गया है। नवीन ख0न0 179 / 721 रकवा 0.58 है0 किस्म चरागाह कर दी है जबकि उक्त ख0न0 179 / 721 साबिक ख0न0 102 / 1 का ही भाग है जिस पर सायल हमेशा से काबिज रहा है और आज भी काबिज है सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने उक्त आराजी ख0न0 179 / 721 रकवा 0.58 है0 को साबिक ख0न0 102 / 1 से नही बनाकर साबिक ख0न0 45 मिन से बनाकर कायम किया है तथा सायल का रकवा कम कर दिया है तथा सायल के साबिक खातेदारी व कब्जे की आराजी से नवीन ख0न0 179 / 721 रकवा 0.58 है0 बनाकर चरागाह कर दिया है जिसे सायल को दुरूस्त कराने का हकदार है तथा सायल ख0न0 179 / 721 रकवा 0.58 है0 की खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार है। अतः गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि ख0न0 179 / 721 रकवा 0.58 है0 ग्राम खिलचीपुरबाडा मे सायल के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे आराजी को खुर्द–बुर्द नही करे, तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने मूल दावे मे प्रस्तुत जबाब मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि साबिक ख0न0 102 / 1 रकवा 21 बीधा 13 बिस्वा ख0न0 102 / 2 रकवा 3 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 25 बीधा 3 बिस्वा मे रायसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक नम्बरान से नवीन ख0न0 198 / 836, 207 / 837, 207 / 338, 179 / 839, 179 / 841, 179 / 840, 190 / 723, 208 / 719, 208 / 720, 207, 196, 197, 198, 186, 187, 188, 189, 179, 180 कुल किता 19 कुल रकवा 6.36 है0 बने है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बरान व नवीन खसरा नम्बरान के रकवे मे कोई अन्तर नही है आराजी ख0न0 179 / 721 रकवा 0.58 है0 किस्म चरागाह साबिक ख0न0 102 / 1 का भाग नही होकर साबिक ख0न0 45 का भाग है। इस प्रकार वादी का रकवा कम नही हुआ है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सायला वकील व पैरोकार सरकार तहसीलद[illegible] की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कि[illegible] प्रार्थना पत्र अस्थ[illegible]षेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत ख0न0 187/0.62, 196/0.37, 207/0.46, 186/1.11, 198/836/0.45, 207/838/0.46, 188/0.21, 179/839/0.15, 208/720/0.04, 189/0.38, 197/0.55, 198/0.45, 207/837/0.13, 190/723/0.16 है0 मे सायल मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त नवीन खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 अनुसार साबिक ख0न0 102/1, 102/2 से कायम किये गये है पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2037–40 के साबिक ख0न0 102/1 रकवा 21 बीधा 13 बिस्वा, ख0न0 102/2 रकवा 2 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 25 बीधा 3 बिस्वा मे सायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 अनुसार साबिक ख0न0 102/1, 102/2 कुल रकवा 25 बीधा 3 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बरान कुल किता 19 कुल रकवा 6.36 है0 बनाये गये है। जिनका साबिक रकवा व नवीन रकवे मे कोई अन्तर नही पाया गया है। सायल द्वारा आराजी नवीन खसरा नम्बर 179/721 रकवा 0.58 है0 के संबध मे अनुतोष चाहा गया है उक्त ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 अनुसार राजस्थान सरकार के नाम किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है। उक्त नवीन ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख0न0 45 मिन. से बना है पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात अनुसार साबिक ख0न0 45 मिन. का साबिक ख0न0 102/1, 102/2 का भाग नही है मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख0न0 102/1 व 102/2 से बने नवीन खसरा नम्बरान का रकवा पूर्ण रूपेण सही पाया गया है। इसी अनुसार गैरसायल पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट/बहस मे कथन किया है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जबाब का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर गहनता से मनन करने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होता है। सायल द्वारा चाहे गये इन्द्राज दुरूस्ती का विस्तृत निर्णय मूल वाद मे साक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जाना है। उक्त विवेचन से पृथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होकर तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत जबाब/रिपोर्ट व दस्तावेजात से गैरसायल के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल साबिक दस्तावेजात व नवीन दस्तावेजात बरारी के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन गैरसायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 179/721 रकवा 0.58 है0 मे यदि गैरसायल को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

उक्त तीनो बिन्दु सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested